28/11/25

पत्रावली पेश/वकील अपीलार्थी उपस्थित अपीलार्थी की अपील प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिख्या जाकर पत्रावली शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर पत्रावली जिला लेख्य अगार में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

टा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (R.A.S.)

अपील प्रा0 पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2024	07.10.2024	28.11.2025

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र खैराती जाति ब्राहमण निवासी मातौर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0

–: अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मातौर प0 स0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा जरिये सरपंच
2. राजाराम पुत्र खैराती जाति ब्राहमण निवासी मातौर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0

–: असलरेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 256 वाके ग्राम मातौर दिनांक 11.06.2024 ग्राम पंचायत मातौर तह0 मुण्डावर, के विरूद्ध पेश की जा रही है कि रेस्पोडैन्ट सं0 1 द्वारा, रेस्पोडेंट सं0 2 के नाम उक्त इन्तकाल बेजा रूप से स्वीकार किया गया है, बमुराद मसूबी तजबीज आज्ञा उक्त व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट व अन्य दादरसी–

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28.11.2025

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :–

    1. यह है कि अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा, राज० व इन्तकाल स० 256 दिनांक 11/6/2024 ग्राम मातौर तह० मुण्डावर की पेश की जा रही है। जो वाके हदूद अदालत श्रीमान है। अतः अपील हाजा समाअत अदालत श्रीमान है।
    2. यह है कि अपील हाजा पर 2/– रू0 कोर्ट फीस व उचित तलबाना शुल्क चरपाकर पेश है।
    3. यह है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत मातौर पं०स० मुण्डावर का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित पारित किया गया है। जिससे मिन अपीलान्ट को काफी पेरशान होना पडा है।
    4. यह है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत मातौर प०स० मुण्डावर का आलोच्य आदेश एऐदाद पत्रावली है।
    5. यह है कि उक्त इन्तकाल सं० 256 ग्राम पंचायत मातौर ने अपीलान्ट के दानपत्र के देखे बिना, रेस्पोडेंट स० 2 के हक में मंजूर कर दिया, जो कानूनन गलत है. जबकी मिन अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट स० 2 के नाम मात्र आराजी ख०नं0 22 रकबा 0.30 है0 में से 184/245 दर 7/18 भाग का दानपत्र किया गया किया था, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त दानपत्र के आधार पर मिन अपीलांट की समरत आराजी कों रेस्पोंडेंट स० 2 के नाम का अंकन दर्ज कर दिया, जबकी रेस्पोडेंट स० 1 द्वारा मात्र दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेंट रा० 2 का इन्तकाल स्वीकार किया जाना चाहीए था, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करते सगय खिलाफ गौका व खिलाफ कानून गिन अपीलान्ट की सगस्त आराजी को रेस्पोडेंट स० 2 के नाम का अंकन दर्ज कर दिया, जो अंकन काबिले खारीज है. काबिल निरस्त है। जिस इन्तकाल को निरस्त किया जाकर, रेस्पोडेंट स० 2 के नाम मात्र आराजी ख0न0 22 रकबा 0.36 हैक्0 में से 184/245 दर 7/18 भाग में पुनः इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिया जावे।

6. यह है कि मुन्दर्जे इंतकाल सं0 256 में वर्णीत आराजी वाके ग्राम मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा में वर्णीत आराजी हाल ख०नम्बरान 22 रकबा 0.35 हैक्0, 43 रकबा 0.23 हैव0, 61 रकबा 0.18 हैक्0, 69 रकबा 0.32 हैव०, जो आराजी मिन अपीलान्ट के पिता की आराजी रही है, जो आराजी खानदानी पैतृक आराजी है, जो मिन अपीलांट के पिता के फौत होने पर आराजी मिन अपीलांट को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है तथा मिन्न अपीलांट द्वारा मात्र आराजी ख० न0 22 में से रकबा 184/245 दर 7/18 भाग का दानपत्र रेस्पोडेंट स० 2 को कराया है, लेकिन रेस्पोडेंट स० 2 के नाम दानपत्र के आधार पर सालिम आराजी के 92/315 भाग में अपने नाम का अंकन दर्ज करा लिया। जो अंकन काबिले निरस्त है इसलिए इन्तकाल स० 256 दिनांक 11/6/2024 को निरस्त फरगाया जावे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि —

अतः अपील अपीलान्ट पेशकर श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल ग्राम पंचायत मातोर तह० मुण्डावर का आलोच्य आदेश दिनांक 11/6/2024 इन्तकाल सं0 256 ग्राम मातौर को निरस्त फरमाया जाकर, रेस्पोडेंट स० 2 के नाम मात्र दानपत्र के आधार पर आराजी ख0न0 22 रकबा 0.36 हैक०, का 184/245 दर 7/18 भाग का इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे ।

2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2076—79, नामान्तरकरण सं0 256 दिनांक 03.06.2024, छायाप्रति दान पत्र दिनांक 09.02.2024 पेश किये गये।
3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित रहे।
4. बहस वकिल अपीलान्ट सुनी गई।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :—
   - उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत मातौर द्वारा इन्तकाल सं. 256 दिनांक 11.06.2024 को रेस्पोडेंट नं. 2 के नाम स्वीकार करते समय विधि एवं तथ्य की गंभीर उपेक्षा की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्यों से स्पष्ट है कि :–

1. अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट सं. 2 के पक्ष में केवल आराजी खसरा नं. 22, रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 184/245 दर 7/18 भाग का ही दान किया था।
2. दानपत्र के आधार पर केवल उक्त सीमित हिस्से का नामान्तरण किया जाना विधिसंगत था।
3. किन्तु हल्का पटवारी द्वारा समस्त आराजी में 92/315 भाग अंकित कर रेस्पोडेंट सं. 2 के नाम गलत रूप से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया, जो दानपत्र, राजस्व नियमों तथा तथ्यों के विपरीत है।
4. ग्राम पंचायत मातौर द्वारा दानपत्र का परीक्षण किए बिना इन्तकाल स्वीकार किया जाना विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण पाया गया।
5. प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबंदी नकल, नामान्तरण सं. 256 की प्रति तथा दानपत्र की छायाप्रति से अपीलान्ट के कथन की पुष्टि होती है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय अपील अपीलान्ट स्वीकार होना पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत मातौर पं0स0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 दिनांक 11.06.2024 बाबत इन्तकाल सं0 256 ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, मुण्डावर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी की सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner